

अध्याय 8 अभिलेख का निरीक्षण

नियम 67 : अभिलेखों का निरीक्षण

किसी भी मामले में आवेदक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रजिस्ट्रार को निर्धारित जीएसटीएटी-प्ररूप-03 में लिखित आवेदन देकर और फीस की अनुसूची के अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान करके मामले के अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकेगी।
